

क्रमांक :- प.4(ई)(1)(6)एसीपी/अलेसे-III/ 2329

आदेश संख्या:-5/9/2021-22

दिनांक :- 22-12-2021

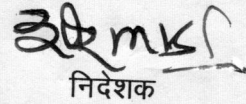
राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 09.12.2017 एवं एफ. 14(88) एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे-मैट्रिक्स के लेवल एल-13 में स्वीकृत की जाती है।

| क.सं | नाम (सर्वश्री)           | मेरिट/बैच नं. | कनिष्ठ लेखाकार/समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि | तृतीय ए.सी.पी. देय तिथि | विशेष विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)                      | (3)           | (4)                                                               | (5)                     | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | लाल बहादुर मित्तल (5685) | डीजीएस        | 03.10.1989                                                        | 03.10.2016              | श्री लालबहादुर मित्तल, कनि. लेखाकार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर द्वारा अपराध प्रकरण संख्या 250/2010 अन्तर्गत धारा 7, पी.सी. एक्ट 1988 में पंजीबद्ध होने के कारण कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2/157/ कार्मिक (क-3)/97 दिनांक 10.08.2001 के अनुसरण में विभागीय आदेश क्रमांक 8179- 8185 दिनांक 07.10. 2011 से निलम्बित किया गया। तत्पश्चात् वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प. 2(8)/वित्त/राजस्व/14 दिनांक 28.01. 2015 के अनुसरण में विभागीय आदेश सं. 147/2014-15 दिनांक 13.02.2015 के द्वारा श्री लाल बहादुर मित्तल को निलम्बन से बहाल किया गया एवं विभागीय आदेश क्रमांक 491 दिनांक 15.04.2021 के द्वारा श्री बहादुर की निलम्बन अवधि को वेतन भत्तों के भुगतान एवं अन्य देय समस्त पेंशन योग्य परिलाभों की गणना हेतु मान्य किया गया है। |

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।

  
निदेशक

दिनांक :- 22-12-2021

क्रमांक :- प.4(ई)(1)(6)एसीपी/अलेसे-III/ 2329  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)/एपीएआर शाखा।
3. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
4. निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)